

फर्द अहकाम

(नियम 26)
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी (बिसादडी)

अस अकारत

- श्री ऐली राय

यनाम

- श्री रामू लाल

किसम हुकमना

128 पचा

नं.

52/18

सन्

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

23/4/18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.
अररबट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज
रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन
किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई।
तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
नौजा..... को.ह.स.
ग्राम..... को.ह.स. की
आ.न..... 1165. = 1-63 की
विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों
की मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 900/-
वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।
पत्रावली में हुकमना जारी होकर
कैसल शुनार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

